सत्यमेव जयते

भारत सरकार

भारत का विधि आयोग

श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों में अधिवक्ताओं को पीठासीन अधिकारी होने का पात्र बनाने हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7, धारा 7क और धारा 7ख का संशोधन

रिपोर्ट सं. 225

जून, 2009

भारत का विधि आयोग

(रिपोर्ट सं. 225)

श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों में अधिवक्ताओं को पीठासीन अधिकारी होने का पात्र बनाने हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7, धारा 7क और धारा 7ख का संशोधन

डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन, अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग द्वारा 25 जून, 2009 को केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित ।

18वें विधि आयोग का गठन भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली के आदेश संख्या ए.45012/1/2006-प्रशा. III (एल ए) तारीख 16 अक्तूबर, 2006 द्वारा 1 सितम्बर, 2006 से तीन वर्ष के लिए किया गया ।

विधि आयोग अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, एक पूर्णकालिक सदस्य और सात अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बना है ।

अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति डा. एआर. लक्ष्मणन, अध्यक्ष

सदस्य-सचिव

डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल

पूर्णकालिक सदस्य

प्रोफेसर (डा.) ताहिर महमूद

अंशकालिक सदस्य

डा. (श्रीमती) देविन्दर कुमारी रहेजा

डा. के. एन. चन्द्रशेखरन पिल्लै

प्रोफेसर (श्रीमती) लक्ष्मी जामभोलकर

श्रीमती कीर्ति सिंह

न्यायमूर्ति आई. वेंकटनारायण

श्री ओ. पी. शर्मा

डा. (श्रीमती) श्यामला पप्पू

विधि आयोग आई. एल. आई. बिल्डिंग, द्वितीय तल, भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001 में स्थित है ।

विधि आयोग के कर्मचारिवृंद

सदस्य-सचिव

डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल

अनुसंधान कर्मचारिवृंद

श्री सुशील कुमार	:	संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी
सुश्री पवन शर्मा	:	अपर विधि अधिकारी
श्री जे. टी. सुलक्षण राव	:	अपर विधि अधिकारी
श्री ए. के. उपाध्याय	:	उप विधि अधिकारी
डा. वी. के. सिंह	:	सहायक विधि सलाहकार
डा. आर. एस. श्रीनेट	:	अधीक्षक (विधि)

प्रशासनिक कर्मचारिवृंद

श्री सुशील कुमार	:	संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी
श्री डी. चौधरी	:	अवर सचिव
श्री एस. के. बसु	:	अनुभाग अधिकारी
श्रीमती रजनी शर्मा	:	सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी

इस रिपोर्ट का पाठ **http://www.lawcommissionofindia.nic.in** पर इन्टरनेट पर उपलब्ध है ।

© भारत सरकार

भारत का विधि आयोग

इस दस्तावेज का पाठ (सरकारी चिह्न के सिवाय) इस शर्त के अधीन किसी प्ररूप या माध्यम में निःशुल्क पुनरुत्पादित किया जा सकता है बशर्ते कि यह ठीक-ठीक पुनरुत्पादित किया गया है और भ्रामक संदर्भ में प्रयोग नहीं किया गया है । सामग्री की अभिस्वीकृति भारत सरकार कापीराइट और विनिर्दिष्ट दस्तावेज के शीर्षक के रूप में की जाए ।

इस रिपोर्ट से संबंधित कोई पूछताछ सदस्य-सचिव, भारत का विधि आयोग, द्वितीय तल, आई. एल. आई. भवन, भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001, भारत को डाक द्वारा या ई-मेल : **Ici-dla@nic.in** द्वारा संबोधित किया जाए ।

डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन
(भूतपूर्व न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय)
अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग

आई.एल.आई. भवन
(द्वितीय तल)
भगवान दास रोड,
नई दिल्ली-110001
दूरभाष- 91-11-22384475
फैक्स - 91-11-23383564

अर्ध. शा.सं. 6(3)/162/2009-एल सी(एल एस) 25 जून, 2009

प्रिय डा. वीरप्पा मोइली जी,

विषयः- श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों में अधिवक्ताओं को पीठासीन अधिकारी होने का पात्र बनाने हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7, धारा 7क और धारा 7ख का संशोधन ।

मैं उपरोक्त विषय पर भारत के विधि आयोग की 225वीं रिपोर्ट अग्रेषित कर रहा हूं ।

एक अधिवक्ता ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 और धारा 7क को अभिखंडित करने का अनुरोध करते हुए एक लोकहित वाद [एच. सी. अरोरा बनाम भारत संघ शीर्षक सिविल रिट याचिका सं. 2798/2006] फाइल किया चूंकि उक्त उपबंध केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित श्रम न्यायालयों और/या अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कितने भी अनुभव वाले अधिवक्ताओं को पात्र नहीं

निवासः सं. 1, जनपथ, नई दिल्ली-110001. टेली. 91-11-23019465, 23793488, 23792745. ई-मेल : ch.lc@sb.nic.in.

बनाते । याची ने यह तर्क किया कि विधिक व्यवसाय में 7-10 वर्ष के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को उक्त उपबंधों मे उपयुक्त संशोधन द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए पात्र बनाना चाहिए । उच्च न्यायालय ने तारीख 23.10.2008 के अपने आदेश द्वारा उक्त अनुरोध नामंजूर करते हुए लेकिन याची को विधि आयोग के समक्ष अभ्यावेदन देने और आयोग को उक्त उपबंधों में उपयुक्त संशोधन के लिए सिफारिश करने की संभाव्यता की जांच करने की सलाह देते हए रिट याचिका का निपटान किया ।

इसके पश्चात् याची ने केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित श्रम न्यायालयों/अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए अदालत में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ताओं को पात्र बनाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 और धारा 7क का संशोधन करने हेतु सरकार को उचित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मामले पर विधि आयोग से विचार करने का अनुरोध करते हुए अधोहस्ताक्षरी को तारीख 3.3.2009 को पत्र लिखा ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विधि आयोग ने विषय पर विचार करने का विनिश्चय किया ।

सम्पत कुमार [ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 386 और 1987 (1) स्केल 1317] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की मताभिव्यक्तियां और कई अधिकरणों और अन्य न्यायिककल्प निकायों में नियुक्तियों के लिए अर्हताओं से यह बहुत स्पष्ट है कि वस्तुतः संबद्ध विधिक क्षेत्र में न्यायालय में प्रैक्टिस करने की अपेक्षित वर्ष संख्या वाले अधिवक्ता किसी अधिकरण को चलाने के लिए सक्षम हैं ।

यह भूल प्रतीत होता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

की धारा 7, 7क और 7ख श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों के रूप में अधिवक्ताओं को शामिल नहीं करती ।

अतः, हमारा यह मत है कि श्रम न्यायालय और औद्योगिक अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए सुसंगत विधिक क्षेत्र में न्यायालय में प्रैक्टिस करने की अपेक्षित वर्ष संख्या वाले अधिवक्ताओं को पात्र बनाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7, 7क और 7ख का उपयुक्त संशोधन किया जाए ।

सादर,

भवदीय,

(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन)

डा. एम. वीरप्पा मोइली,
केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों में अधिवक्तों को पीठासीन अधिकारी होने का पात्र बनाने हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7, धारा 7क और धारा 7ख का संशोधन

विषय सूची

	अध्याय	पृष्ठ सं.
I	प्रस्तावना	10
II	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7, 7क और 7ख	12
III	एस. पी. सम्पत कुमार बनाम भारत संघ	22
IV	ऐसे अधिकरण जिनके पीठासीन अधिकारी अधिवक्ता हो सकते हैं	25
V	निष्कर्ष और सिफारिश	29

I. प्रस्तावना

1.1 एक अधिवक्ता ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 और धारा 7क को अभिखंडित करने का अनुरोध करते हुए एक लोकहित वाद [एच. सी. अरोरा बनाम भारत संघ शीर्षक सिविल रिट याचिका सं. 2798/2006] फाइल किया चूंकि उक्त उपबंध केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित श्रम न्यायालयों और/या अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कितने भी अनुभव वाले अधिवक्ताओं को पात्र नहीं बनाते । याची ने यह तर्क किया कि विधिक व्यवसाय में 7-10 वर्ष के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को उक्त उपबंधों मे उपयुक्त संशोधन द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए पात्र बनाना चाहिए । उच्च न्यायालय ने तारीख 23.10.2008 के अपने आदेश द्वारा उक्त अनुरोध नामंजूर करते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त करते हुए रिट याचिका का निपटान किया :–

> " कोई रिट न्यायालय संसद या किसी अन्य विधान मंडल को कानून के किसी विशिष्ट आशय हेतु संशोधन करने के लिए परमादेश जारी करने के लिए सक्षम नहीं है । ऐसा कोई परिवर्तन लाने के लिए उचित अनुक्रम यह है कि भारत के विधि आयोग के समक्ष आवेदन किया जाए जो एस. पी. सम्पत कुमार वाले मामले में व्यक्त मताभिव्यक्तियों के आलोक में मुद्दे की परीक्षा करे और संसद को उपयुक्त सिफारिश करे । हम यह कहते हैं कि श्री अरोरा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 और 7क के अंतर्विष्ट उपबंधों में संशोधन की सिफारिश चाहने के लिए विधि आयोग के समक्ष

अभ्यावेदन करने के लिए स्पष्टतः सहमत थे । कुल मिलाकर हमें यह कहने की आवश्यकता है कि यदि श्री अरोरा द्वारा ऐसा कोई अभ्यावेदन दिया जाता है तो विधि आयोग उपबंधों में उपयुक्त संशोधन हेतु सिफारिश करने की संभाव्यता की परीक्षा करे ।"

1.2 इसके पश्चात् याची श्री एच. सी. अरोरा, अधिवक्ता ने केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित श्रम न्यायालयों/अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायालय में 10 वर्ष की प्रैक्टिस वाले अधिवक्ताओं को पात्र बनाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 और 7क का संशोधन करने के लिए सरकार को समुचित रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु विधि आयोग से मामले पर विचार करने का अनुरोध करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश की प्रति भी संलग्न करते हुए भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष को तारीख 03.03.2009 को संबोधित एक पत्र भेजा ।

1.3 उपरोक्त को ध्यान मे रखते हुए, विधि आयोग ने विषय पर विचार करने का विनिश्चय किया ।

II. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7, 7क और 7 ख

2.1 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का संसद द्वारा अधिनियमन औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और परिनिर्धारण के लिए मशीनरी और मंच का उपबंध करने के लिए किया गया था जैसाकि इसकी उद्देशिका और वृहत् नाम से स्पष्ट है । न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर ने *भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम डी. जे. बहादुर*[1] वाले मामले में इस प्रकार मत व्यक्त किया :–

> " औद्योगिक विवाद अधिनियम एक लाभकारी उपाय है जो औद्योगिक उलझनों को दूर करने के लिए विवाद समाधन तंत्र का उपबंध करने और आवश्यक अवसंरचना गठित करने के लिए है जिससे कि उत्पादन के भागीदारों की ऊर्जा उत्पाद-प्रतिकारक झगड़ों में नष्ट न हो सके और औद्योगिक न्याय के आश्वासन से सद्भाव का वातावरण पैदा हो सके । औद्योगिक शान्ति एक राष्ट्रीय आवश्यकता है और किसी क्षेत्र में विधि, व्यवस्था की कमी का अभाव न होगा । दुर्व्यवस्था सृजनात्मकता की दुश्मन है जिससे उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । इस प्रकार, वह महान लक्ष्य जिसके लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम बनाया गया है, सुलहकारी या न्याय निर्णयकारी प्रक्रियाओं के साथ विवादों को दूर करने का विधिक तंत्र है ।"

2.2 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को स्वतःपूर्ण होने के आशय से बनाया गया है और राज्य को इसमें उपबंधित विवाद समाधान तंत्र अर्थात्, सामूहिक सौदेबाजी, सुलह, मध्यस्थता और उसके असफल होने पर

---

[1] ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 2181.

अनिवार्य न्यायनिर्णयन का अवलंब लेने के लिए पक्षकारों को मजबूर करने के लिए समर्थ बनाता है ।

2.3 10.03.1957 से औद्योगिक विवाद (संशोधन और प्रकीर्ण) उपबंध अधिनियम, 1956 द्वारा पूर्व धारा 7 के स्थान पर वर्तमान धारा 7, 7क, 7ख और 7ग रखे गए ।

2.4 पहली बार औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 की धारा 7 द्वारा सुलह प्राधिकारियों के तंत्र के माध्यम से स्वैच्छिक बातचीत या मध्यकता के असफल होने पर अनिवार्य न्यायनिर्णयन लागू करते हए समुचित सरकार द्वारा उन निर्दिष्ट औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए औद्योगिक अधिकरणों का सृजन किया गया था । मूलतः अधिनियमित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में श्रम न्यायालयों के सृजन के बारे में उपबंध नहीं था ।

2.5 औद्योगिक विवाद (अपील अधिकरण) अधिनियम, 1950 का अधिनियमन किया गया क्योंकि एक केन्द्रीय अपील प्राधिकरण की आवश्यकता महसूस की गई जिसके विनिश्चयों द्वारा केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों द्वारा गठित अनेक औद्योगिक अधिकरणों के क्रियाकलापों का समन्वयन होगा । कुछ अधिकरण प्रमुख मुद्दों पर भिन्न-भिन्न मत व्यक्त करने के लिए जाने जाते थे । इसी प्रकार औद्योगिक अधिकरणों के अधिनिर्णय या विनिश्चय से अपील की सुनवाई के लिए श्रम अपील अधिकरण का सृजन किया गया ।

2.6 तब इस बात की काफी आलोचना हुई कि अपील अधिकरणों के समक्ष फाइल अपीलों के निपटान में काफी समय लगता है और इसमें काफी व्यय होता है जिसे कर्मकार नहीं उठा सकते । औद्योगिक विवाद (अपील

अधिकरण) अधिनियम, 1950 को निरसित करने और वहीं तत्कालीन अधिकरणों की प्रणाली के स्थान पर समुचित अर्हताओं वाले व्यक्तियों के मूल अधिकरणों की त्रिस्तरीय प्रणाली रखने का प्रस्ताव किया गया । इस प्रकार, जैसा पैराग्राफ 2.3(पूर्वोक्त) में इंगित किया गया है, वर्तमान धारा 7,7क, 7ख और 7ग अस्तित्व में आयी । औद्योगिक विवाद (अपील अधिकरण) अधिनियम, 1950 का भी निरसन औद्योगिक विवाद (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1956 द्वारा किया गया।

2.7 धारा 7 में समुचित सरकार द्वारा श्रम न्यायालयों के गठन और कतिपय विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए निर्देश का उपबंध है । धारा 7क में औद्योगिक विवादों के व्यापक प्रवर्ग के न्यायनिर्णयन के लिए समुचित सरकार द्वारा औद्योगिक अधिकरणों के गठन का उपबंध है । धारा 7ख केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरणों के गठन के लिए समर्थ बनाती है । राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरणों को निर्देश केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाते हैं और उसमें ऐसे विवाद होते हैं जिसमे राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है या जो ऐसी प्रकृति के हैं जो संभवतः एक से अधिक राज्य में स्थित औद्योगिक स्थापनों के लिए हितबद्ध हों या उन्हें प्रभावित करते हों । धारा 7ग में श्रम न्यायालयों औद्योगिक अधिकरणों ओर राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों की अर्हताओं का उपबंध है ।

2.8 यहां स्वयं यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि मामलों के भारी बकायों के कारणों मे एक कारण यह है कि निर्देशों का लम्बी अवधि तक विनिश्चय नहीं किया जा रहा है क्योंकि पीठासीन अधिकारियों के पद प्रायः रिक्त पड़े रहते हैं ।

2.9 अब हम सुसंगत उपबंधों को दोहराते हैं :–

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7, जैसा यह आरंभतः अधिनियमित थी –

औद्योगिक अधिकरण

" (1) समुचित सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए एक या अधिक औद्योगिक अधिकरणों का गठन कर सकेगी ।

(2) अधिकरण ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसा समुचित सरकार ठीक समझे । जहां अधिकरण एक या अधिक सदस्यों से मिलकर बना है वहां उनमें से एक को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा ।

(3) अधिकरण का प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र व्यक्ति होगा,

(क) जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिलाधीश है या रहा है ; या

(ख) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्ह है ;

परन्तु भाग (क) के अधीन निरर्हित किसी व्यक्ति की अधिकरण में नियुक्ति उस प्रांत के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी जिसमें अधिकरण का अपना प्रायिक न्यायपीठ है या बनाए जाने का आशय है ।"

औद्योगिक विवाद (अपील अधिकरण) अधिनियम, 1950 की धारा 4 और 5 –

धारा 4 – श्रम अपील अधिकरण का गठन

" केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार औद्योगिक अधिकरणों के अधिनिर्णयों या विनिश्चयों से अपीलों की सुनवाई के लिए श्रम अपील अधिकरण का गठन कर सकेगी । "

धारा 5 – अपील अधिकरण का गठन और इसके सदस्यों का कार्यकाल " (1) अपील अधिकरण अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसा केन्द्रीय सरकार समय समय पर नियुक्त करना ठीक समझे ।

(2) अपील अधिकरण् का प्रत्येक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो –

(क) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है ; या

(ख) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह है ; या

(ग) दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए औद्योगिक अधिकरण का सदस्य रहा है ;

परंतु खंड (क) या खंड (ग) के अधीन निरर्हित किसी व्यक्ति की अपील अधिकरण में नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी ।

(3) सदस्य जब तक नियुक्ति आदेश में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, उस तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारित करेगा जिसको वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है और अपनी पदावधि की समाप्ति पर पुननियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु कोई सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।

(4) प्रत्येक सदस्य ऐसे वेतन और भत्तों और छुट्टी और पेंशन के ऐसे अधिकारों को हकदार होगा जो विहित किया जाए :

परंतु किसी सदस्य के वेतन में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके अलाभ के लिए परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7, 7क और 7ख

धारा 7 – श्रम न्यायालय

(1) समुचित सरकार द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय संबंधी औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों के पालन के लिए जैसे इस अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपे जाएं, एक या अधिक श्रम न्यायालयों का गठन, शासकीय राजपत्र से अधिसूचना द्वारा कर सकेगी ।

(2) श्रम न्यायालय केवल एक व्यक्ति से गठित होगा जिसकी नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा की जाएगी ।

(3) कोई भी व्यक्ति श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह –

(क) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो, या न रह चुका हो, अथवा

(ख) कम से कम तीन वर्ष की कालावधि तक जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रह चुका हो, अथवा

3. * * * *

(घ) भारत में कोई न्यायिक पद कम से कम सात वर्ष तक धारण न कर चुका हो, अथवा

(ड.) किसी प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन गठित श्रम न्यायालय का कम से कम पांच वर्ष तक पीठासीन अधिकारी न रह चुका हो ।

धारा 7क. अधिकरण – (1) समुचित सरकार चाहे द्वितीय अनुसूची में चाहे तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी सभी विषय संबंधी औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णय के लिए (और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए जो इस अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपे जाएं) एक या अधिक औद्योगिक अधिकरण, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, गठित कर सकेगी ।

(2) अधिकरण केवल एक व्यक्ति से गठित होगा, जिसकी नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा की जाएगी ।

(3) कोई भी व्यक्ति अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह –

(क) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो, या न रह चुका हो, अथवा

(कक) कम से कम तीन वर्ष की कालावधि तक जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रह चुका हो ;

(4) समुचित सरकार, यदि वह ऐसा करना ठीक समझे, अधिकरण को उसके समक्ष की कार्यवाही में सलाह देने के लिए, दो व्यक्तियों को असेसरों के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

धारा 7ख – राष्ट्रीय अधिकरण

(1) केन्द्रीय सरकार ऐसे औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए, जिनमें केन्द्रीय सरकार की राय में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं या जो इस प्रकृति के हैं कि एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापनों का ऐसे विवादों में हितबद्ध होना, या उनसे प्रभावित होना संभाव्य है, एक या अधिक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, गठित कर सकेगी ।

(2) राष्ट्रीय अधिकरण केवल एक व्यक्ति से गठित होगा, जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

(3) कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो ।

(4) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना ठीक समझे, राष्ट्रीय अधिकरण को उसके समक्ष की कार्यवाही में सलाह देने के लिए, दो व्यक्तियों को असेसरों के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।"

2.10 यह देखने में आता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की मूल धारा 7 और औद्योगिक विवाद (अपील अधिकरण) अधिनियम,1950 की धारा 5 क्रमशः औद्योगिक अधिकरण का सदस्य और श्रम अपील

अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं अधिकथित करते समय अन्य बातों के साथ-साथ "उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह व्यक्तियों " को सम्मिलित किया गया था । संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो कम से कम दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है, अन्य के साथ-साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का पात्र है । इस प्रकार न्यायालय में दस वर्ष के प्रैक्टिस वाले अधिवक्ता तत्कालीन उपबंधों के अधीन औद्योगिक अधिकरण या श्रम अपील अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के पात्र थे ।

2.11 यह ज्ञेय है कि क्यों औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7, 7क और 7ख के वर्तमान उपबंधों ने श्रम न्यायालयों, औद्योगिक अधिकरणों और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उपरोक्त प्रवर्ग के अर्हताओं वाले व्यक्तियों का लोप किया ।

2.12 "औद्योगिक और श्रम विवाद" संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अधीन आने वाला विषय है (प्रविष्टि 22 द्वारा) । कुछ राज्य विधान मंडलों ने संबद्ध राज्यों में लागू होने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 और 7क के उपबधों को संशोधित किया । उदाहरणार्थ, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों ने अन्य के साथ-साथ श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायालय में 7 वर्ष की प्रैक्टिस वाले अधिवक्ताओं को व्यक्ततः पात्र बनाते हुए धारा 7 का संशोधन किया ; हरियाणा राज्य ने यह कहते हुए धारा 7 को संशोधित किया कि जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह व्यक्ति पात्र होगा जिसे संविधान के अनुच्छेद 233 के साथ पढ़ने से भी यह अर्थ है कि

न्यायालय में 7 वर्ष की प्रैक्टिस वाले अधिवक्ता श्रम न्यायलाय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे । असम, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों ने यह व्यक्त करते हुए धारा 7क को संशोधित किया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हित व्यक्ति औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे जिसे संविधान के अनुच्छेद 217 के साथ पढ़ने से यह अर्थ निकलता है कि न्यायालय में 10 वर्ष की प्रैक्टिस वाला अधिवक्ता अन्य के साथ-साथ उक्त नियुक्ति का पात्र होगा जबकि हरियाणा राज्य ने जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अर्ह व्यक्ति अर्थात् न्यायालय केवल 7 वर्ष की प्रैक्टिस वाले अधिवक्ता को पात्र बनाते हुए धारा 7क को संशोधित किया है ।

III. एस. पी. सम्पत कुमार बनाम भारत संघ

3.1 एस. पी. सम्पत कुमार बनाम भारत संघ[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान न्यायपीठ ने यह मत व्यक्त किया कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के तत्कालीन उपबंध जो प्रशासनिक अधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र के रूप में न्यायालय में 10 वर्ष की प्रैक्टिस वाले अधिवक्ताओं पर विचार नहीं करते, अभिखंडित किए जाने योग्य थे क्योंकि ऐसे अधिवक्ता जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के पात्र हैं, को प्रशासनिक अधिकरणों के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र समझा जाना चाहिए ।

3.2 तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री पी. एन. भगवती ने सम्पत कुमार वाले मामले में इस प्रकार मत व्यक्त किया :–

> " मैं यह भी नहीं समझ पा रहा हूं कि जिला न्यायाधीश या ऐसे अधिवक्ता को जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है, प्रशासनिक अधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का पात्र क्यों नहीं होना चाहिए? इस बात की ओर ध्यान दिया जा सकता है कि चूंकि प्रशासनिक अधिकरण की सृष्टि उच्च न्यायालय के स्थान पर की गई है, इसलिए प्रशासनिक अधिकरण का उपाध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की स्थिति में होगा और यदि ऐसा जिला न्यायाधीश या अधिवक्ता जोकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने का पात्र है तो ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे कि

---

[2] ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 386.

वह प्रशासनिक अधिकरण का उपाध्यक्ष होने का पात्र उसी प्रकार से न हो । क्या प्रशासनिक अधिकरण की स्थिति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की स्थिति की बनिस्बत इस प्रकार उच्चतर समझी जा सकती है जिससे कि उस व्यक्ति को जो कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने का पात्र है, प्रशासनिक अधिकरण का उपाध्यक्ष होने का पात्र माना जा सके । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासनिक अधिकरण के संघटन के संबंध में आक्षेपित अधिनियम के उपबंध सेवाओं के सदस्यों के पक्ष में कुछ ही झुके हुए हैं । सेवाओं के सदस्यों के पक्ष में इस प्रकार का महत्व और न्यायिक सदस्यों के ऐसे अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि प्रशासनिक अधिकरण उच्च न्यायालय की बनिस्बत कम प्रभावी और अलाभकारी बन जाता है । अतः मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसे जिला न्यायाधीश या अधिवक्ता को जो कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है, प्रशासनिक अधिकरण का उपाध्यक्ष होने के पात्र व्यक्ति के रूप में समझा जाना चाहिए और जब तक कि उस प्रभाव का संशोधन 31 मार्च, 1987 को या उससे पहले नहीं किया जाता है, तब तक आक्षेपित अधिनियम को अविधिमान्य घोषित करना होगा क्योंकि प्रशासनिक अधिकरण के संघटन से संबंधित उपबंध को आक्षेपित अधिनियम में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों से पृथक् नहीं किया जा सकता ।"

3.3 संपत कुमार वाले मामले में फाइल पुनर्विलोकन याचिका पर अपने आदेश[3] में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :–

" विद्वान महा अटार्नी की दूसरी दलील यह है कि भारत के

---

[3] 1987 (1) स्केल 1317.

मुख्य न्यायमूर्ति श्री भगवती की मताभिव्यक्तियां जिला न्यायाधीश के अलावा प्रशासनिक अधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा अधिवक्ता जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्ह है, को भी पात्र के रूप में माना जाना चाहिए, विचारणीय है क्योंकि अधिवक्ता के पास प्रशासनिक अनुभव नहीं होगा जो प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य के लिए अपेक्षित है । हम यह दलील स्वीकार नहीं करते । प्रथमतः, एक अधिवक्ता जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्ह है, ऐसा अधिवक्ता है जो विवक्षा द्वारा न केवल न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अर्ह है बल्कि प्रशासनिक कृत्यों का भी पालन करता है जो उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से पालन करने की प्रत्याशा की जाती है । दूसरा, क्या चयन की प्रक्रिया के दौरान इस बात की परीक्षा और निर्णय किया जा सकता है कि प्रशासनिक अधिकरण में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अधिवक्ता के पास पर्याप्त प्रशासनिक क्षमता है । अतः, हम उनके निर्णय में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति भगवती द्वारा व्यक्त मताभिव्यक्तियों में हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव नहीं करते ।"

IV. ऐसे अधिकरण जिनके पीठासीन अधिकारी अधिवक्ता हो सकते हैं ।

4.1 निम्नलिखित अधिकरणों और अन्य न्यायिककल्प निकायों के पीठासीन अधिकारी प्रत्येक के सामने वर्णित संबद्ध अधिनियमितियों के अधीन अधिवक्ता हो सकते हैं :–

[i] आय-कर अपील अधिकरण

(आय-कर अधिनियम, 1961)

[ii] सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण

(सीमा शुल्क अधिनियम, 1962)

[iii] विदेशी विनिमय अपील अधिकरण

(विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999)

[iv] रेलवे दावा अधिकरण

(रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम, 1987)

[v] प्रशासनिक अधिकरण

(प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985)

[vi] राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण

(राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1996)

[vii] साइबर विनियम अपील अधिकरण

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000)

[viii] प्रतिभूति अपील अधिकरण

(भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992)

[ix] राष्ट्रीय कंपनी लॉ अधिकरण

(कंपनी अधिनियम, 1956)

[x] राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपील अधिकरण

(कंपनी अधिनियम, 1956)

[xi] कंपनी लॉ बोर्ड

{कंपनी ला बोर्ड (अर्हताएं आदि) नियम, 1993}

[xii] प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण

(प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002)

[xiii] ऋण वसूली अधिकरण

(बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993)

[xiv] ऋण वसूली अपील अधिकरण

(बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993)

[xv] औद्योगिक और वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड

{रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985}

[xvi] उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986)

[xvii] एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग

(एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969)

[xviii] अपील अधिकरण

(धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002)

[xix] न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

(साहूकारी निवारण अधिनियम, 2002)

[xx] कापीराइट बोर्ड

(कापीराइंट अधिनियम, 1957)

[xxi] समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण

{तस्कर और विदेशी मुद्रा हस्त छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976}

[xxii] सलाहकार बोर्ड

{संविधान का अनुच्छेद 22(4)(क); राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 ; विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्कर निवारण अधिनियम, 1974}

[xxiii] विद्युत अपील अधिकरण

(विद्युत अधिनियम, 2003)

[xxiv] विमान पत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपील अधिकरण

(भारतीय विमान पत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008)

[xxv] सूचना आयोग

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

[xvi] विद्युत विनियामक आयोग

(विद्युत अधिनियम, 2003)

[xxvii]भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

(प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002)

[xxviii]भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण

(भारतीय दूर संचार विनियामक अधिनियम, 1997)

[xxix] पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

(पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006)

[xxx] बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999)

[xxxi] पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2005)

V. निष्कर्ष और सिफारिश

5.1 सम्पत कुमार वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की मताभिव्यक्तियां [पैराग्राफ 3.2 और 3.3 पूर्वोक्त] और विभिन्न अधिकरणों और अन्य न्यायिककल्प निकायों में नियुक्तियों के लिए अर्हताएं [पैराग्राफ 4 पूर्वोक्त] यह बहुत स्पष्ट करती हैं कि वस्तुतः संबद्ध विधिक क्षेत्र में न्यायालय में अपेक्षित वर्ष की प्रैक्टिस वाले अधिवक्ता किसी अधिकरण के पीठासीन अधिकारी होने के लिए सक्षम हैं ।

5.2 यह भूल प्रतीत होती है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7, 7क और 7ख श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों के रूप में अधिवक्ताओं को शामिल नहीं करती ।

5.3 अतः, हमारा यह मत है कि श्रम न्यायालय और औद्योगिक अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए सुसंगत विधिक क्षेत्र में न्यायालय में प्रैक्टिस करने की अपेक्षित वर्ष संख्या वाले अधिवक्ताओं को पात्र बनाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7, 7क और 7ख का उपयुक्त संशोधन किया जाए ।

5.4 हम तदनुसार सिफारिश करते हैं ।

ह/-

(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन)

अध्यक्ष

ह/-	ह/-
प्रोफेसर (डा.) ताहिर महमूद	(डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल)
सदस्य	सदस्य-सचिव